भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2077

जिसका उत्तर सोमवार, 9 दिसम्बर, 2024/18 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया

एनपीएस वात्सल्य योजना का कार्यान्वयन

2077. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत:
श्री बी. मणिक्कम टैगोर:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष उपाय कर रही है कि एनपीएस वात्सल्य योजना कन्याकुमारी और विरुधुनगर में हाशिए पर रह रहे लोगों तक पहुंचे;

(ख) एनपीएस वात्सल्य योजना के लाभार्थियों की पहचान करने के लिए क्या मानदंड हैं, तथा किस प्रकार ये मानदंड समावेशन सुनिश्चित करते हैं;

(ग) एनपीएस वात्सल्य योजना के पूर्ण कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है तथा कन्याकुमारी और विरुधुनगर में किन बाधाओं के कारण इसके क्रियान्वयन में देरी आई हैं;

(घ) सरकार किस प्रकार विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में माता-पिता और अभिभावकों के बीच एनपीएस वात्सल्य योजना के बारे में जागरुकता और समझ में अंतर को दूर करने की योजना बना रही है;

(ड.) एनपीएस वात्सल्य योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थानीय अधिकारियों और गैर-सरकारी संगठनों को प्रदान किए जा रहे विशिष्ट प्रशिक्षण या संसाधन क्या हैं; और

(च) एनपीएस वात्सल्य योजना का सरकार द्वारा लेखापरीक्षा या मूल्यांकन कितने बार की जाती है तथा अब तक हुए मूल्यांकनों के निष्कर्ष क्या हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (च) एक पेंशनयुक्त समाज बनाने के उद्देश्य से एनपीएस-वात्सल्य योजना, अवयस्कों के लिए एक अंशदायी पेंशन योजना, का शुभारंभ 18 सितंबर, 2024 को किया गया था। यह योजना माता-पिता/अभिभावकों के लिए तैयार की गई है, इसमें अवयस्कों अभिदाता के लिए न्यूनतम 1000 रुपये प्रति वर्ष का अंशदान किया जा सकता है, इसमें अधिकतम योगदान की कोई सीमा नहीं है। अभिदाता के व्यस्क होने पर, इस खाते को सहजता से एनपीएस खाते में परिवर्तित किया जा सकता है। यह योजना पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा विनियमित प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी), जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक और गैर-बैंकिंग संस्थाएं शामिल हैं, के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। कन्याकुमारी तथा विरुधुनगर जिलों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं को एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत अवयस्क अभिदाताओं को नामांकित करने में सक्षम बनाया गया है ताकि इन क्षेत्रों में योजना की व्यापक पहुंच तथा इसे अपनाए जाने को सुकर बनाया जाना सुनिश्चित किया जा सके। एनपीएस वात्सल्य खाते एनपीएस ट्रस्ट द्वारा उपलब्ध कराये गए ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से भी खोले जाते है। अत: यह योजना अनेक चैनलों के माध्यम से अवयस्क अभिदाताओं के लिए उपलब्ध है। दिनांक 24.11.2024 की स्थिति के अनुसार एनपीएस वात्सल्य के अंतर्गत कुल 67,974 अभिदाताओं को नामांकित किया गया है तथा तमिलनाडु राज्य में इस योजना के अंतर्गत कुल 5,097 अव्यस्क अभिदाताओं का नामांकन हुआ है।

इस योजना को लोकप्रिय बनाने और अधिकतम कवरेज सुनिश्चत करने के लिए पीएफआरडीए टीवी, रेडियों, थियेटरों, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथ-साथ आउटडोर कैम्पेन के माध्यम से मीडिया अभियान चलाता है। इसके अतिरिक्त, प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए पीएफआरडीए अपने पैनल में शामिल प्रशिक्षण एजेंसियों के माध्यम से बैंकों के लिए प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन कर रहा है ताकि इस योजना की दक्षता को बढ़ावा देने तथा इसका प्रबंधन करने के लिए अपने कर्मचारियों तथा बैंकिंग प्रतिनिधियों (बीसी) को आवश्यक जानकारी तथा कौशल प्रदान किया जा सके।

*****